



बिहार सरकार

समाहरणालय, जहानाबाद।


ई-मेल-arms.jeh.bih@gmail.com
पत्रांक-वेबसाइट-jehanabad.bih.nic.in
(जिला शस्त्र शाखा)दूरभाष/फैक्स-06114-223142
दिनांक-

आदेश


जहानाबाद जिला अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के मृत्यु उपरान्त उनके परिजनों द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने एवं अनुज्ञप्तियों पर धारित शस्त्रों को जमा करने के लिए अनुरोध किया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०	मृत अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु की तिथि	शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०, धारित शस्त्र का प्रकार एवं सं०	यू०आई०एन०	शस्त्र जमा करने का स्थान	शस्त्र जमाकर्ता का नाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
1	मो० ईरसाद आलम, पिता-स्व० मुमताज आलम, ग्राम-काजीढोढा, थाना-टेहटा,मखदुमपुर	09.10.2020	278/1979 Dbbl Gun no- 4898/	05164000 82992015	ओ०पी०टेहटा मं जमा है।	मो० नवेद अंजुम पिता मो० ईरसाद आलम, ग्राम-काजीढोढा, थाना-टेहटा,मखदुमपुर
2	महेश्वरी प्रसाद सिंह, पिता-स्व० नोनु प्रसाद सिंह ग्राम-सरैया, थाना-शकुराबाद	30.11.2020	FR237/ Jeha nabad Dbbl Gun no- 69940	05164000 471471 2015	शकुराबाद थाना जहानाबाद।	अभय कुमार, पिता-स्व० महेश्वरी प्र०सिंह, ग्राम-सरैया, थाना-शकुराबाद
3	नन्दमोहन शर्मा, ग्राम-सरथुआ थाना-मखदुमपुर	02-05-2021	264 / 271 Dbbl-Gun	051640028927 682516	मखदुमपुर थाना जहानाबाद।	नन्द नवीन कुमार एवं सोनु कुमार पिता नन्दमोहन शर्मा, ग्राम-सरथुआ थाना-मखदुमपुर
3	रेवतीरमण शर्मा, ग्राम- थाना-घोषी	28-04-2021	137 / Ghosi Dbbl-Gun n.58512	051640002056 482014	घोषी थाना जहानाबाद।	मो० उमा देवी पति स्व० स्व० रेवतीरमण शर्मा, ग्राम-घोषी थाना-घोषी

अतः आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17-(3) डी० एवं आयुध नियम-2016 के नियम-47 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के आलोक में उपर्युक्त वर्णित शस्त्र अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा संचिका सं०-III-01/12 में दिनांक-19.07.2021 का रद्द करने एवं कॉलम 6 अंकित स्थान में जमा करने की स्वीकृति दी गयी है। जिल दण्डाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दी गई स्वीकृति के आलोक में तत्काल प्रभाव से उक्त 4 अनुज्ञप्तियों को रद्द किया जाता है।


जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद

- ज्ञापांक-.....66/शस्त्र, जहानाबाद, दिनांक-28.07.2021.
- प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- थानाअध्यक्ष, मखदुमपुर, टेहटा, घोषी एवं शकुराबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित शस्त्र जमाकर्ताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, एन०आई०सी०, जहानाबाद को जहानाबाद के वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- एक प्रति रक्षी संचिका में


जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।



बिहार सरकार

समाहरणालय, जहानाबाद ।



ई-मेल-arms.jeh.bih@gmail.com

वेबसाइट-jehanabad.bih.nic.in

दूरभाष/फैक्स-06114-2231

पत्रांक-

(जिला शस्त्र शाखा)

दिनांक-

आदेश

आयुध संसोधन अधिनियम 2019 की धारा 3 की उप धारा 2 में निहित प्रावधानों के तहत एक UIN प शस्त्र से अधिक अनुज्ञप्तिधारी नहीं रख सकते हैं। यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी के एक UIN पर तीन शस्त्र दर्ज हैं तो अनुज्ञप्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार तीसरा शस्त्र उपरोक्त प्रावधान के तहत प्रत्यार्पित किया जाना उक्त प्रावधान के तहत जहानाबाद जिला में 03 तीन अनुज्ञप्तिधारीयों के द्वारा अनुज्ञप्ति बुक आवेदन सहित प्रत्यार्पित करते शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए अनुरोध किया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०	अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०, धारित शस्त्र का प्रकार एवं सं०	यू०आई०एन०	शस्त्र जमा/बिक्री कर नाम व पता एवं स्थ
1	2	3	4	5
1	श्री मार्कण्डेय कुमार आजाद, पिता-स्व० कृष्णा शर्मा, कृष्णा निवास, पूर्वी गॉंधी मैदान, जहानाबाद, थाना-जहानाबाद।	734/829/1999 Dbbl Gun no-6050	051640006540572 015	शस्त्र बिक्री करने व अनुमति दी जाती है
2	श्री विद्याभूषण शर्मा पिता-स्व० चन्द्रिका सिंह, ग्राम-पितम्बरपुर, थाना-ओकरी ओ०पी०	464/489/2004 Dbbl Gun no-6415-5	051640008274982 015	ओकरी ओ०पी० थाना-
3	श्री दिलीप कुमार पिता-नागेश्वर प्रसाद सिंह पश्चिमी गॉंधी मैदान, जहानाबाद, थाना-जहानाबाद।	758/853/2003 Dbbl Gun no- 2003/27197	051880002854292 014	जहानाबाद थाना में ज

अतः आर्म्स संशोधित अधिनियम 2019 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के आलोक उपर्युक्त वर्णित शस्त्र अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा संचिका सं०-XVI-01/201 दिनांक-19.07.2021 को रद्द करने एवं कॉलम 5 अंकित स्थान में जमा/बिक्री करने की स्वीकृति दी गयी है। जिला दण्डाधि जहानाबाद के द्वारा दी गई स्वीकृति के आलोक में तत्काल प्रभाव से उक्त 3 अनुज्ञप्तियों को रद्द किया जाता है।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक-.....67...../शस्त्र, जहानाबाद, दिनांक-23.07.2021.

- प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- थानाअध्यक्ष, जहानाबाद एवं आंकरी ओ० पी० (घोषी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- संबंधित शस्त्र जमाकर्ताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, एन०आई०सी०, जहानाबाद को जहानाबाद के वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सं पदाधिकारियों को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- एक प्रति रक्षी संचिका में।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।